"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 285] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 नवम्बर 2006—कार्तिक 19, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक 13158/21-अ/प्रारूपण/छ. ग./2006.—छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 (क्रमांक 26 सन् 1997) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा जिला-रायपुर के इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी/1449/21-अ/प्रा./छ. ग./2001, दिनांक 30 मार्च, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के सरल क्र. 42 में कालम 2 एवं कालम 3 एवं 4 के खंड-1 में लवन को लोप कर उसके स्थान पर कालम 2 एवं कालम 3 एवं 4 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :—

"अहिल्दा"

उक्त अधिसूचना के सरल क्रमांक-42 के कालम नं. 4 के खंड-8 में अहिल्दा को विलोपित कर दिया जावे.

Raipur nber 2006

NOTIFICA11ON

No. 13158/XXI-A/Drafting/C. G./06.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Chhattisgarh Gram Nyayalaya Adhiniyam, 1996 (No. 26 of 1997), the State Government hereby makes the following amendment in Department Notification No. D/1449/XXI-B/Draft/C. G./01, dated 30th March, 2001, relating to district Raipur, namely :—

AMENDMENT

In the said notification :—

In No. 1 of column (2), (3) and (4) of serial No. 42 Lavan shall be omitted and shall be substituted by the following, namely :—

"Ahilda"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार पोद्दार, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.